

(आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.gov.in>) पर दिनांक 25.06.2026 को अपलोड किए जाने हेतु)



भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं-12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली -110003.

Government of India,
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Department of Personnel and Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003.

विज्ञप्ति

वरिष्ठ सचिवालय सहायक / प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 [कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) संवर्ग]:-

ऑनलाईन आवेदन जमा करने की तिथि	25.06.2026 से 16.07.2026 तक
ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	16.07.2026 (2300 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन	अगस्त, 2026

सं. 4/8/2026-गो.-5: कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) संवर्ग के वरिष्ठ सचिवालय सहायक/ प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड [वेतन स्तर-4 समूह 'ग' अराजपत्रित (रु 25500 - रु 81100) की चयन सूची में परिवर्धन करने के लिए संभावित रूप से माह अगस्त, 2026 में, केवल दिल्ली एनसीआर में, एक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा।

2. **रिक्तियां :** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) संवर्ग के संबंध में भर्ती वर्ष 2025 के लिए संभावित रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	सेवा/ संवर्ग का नाम	अना	अजा	अजजा	योग	बे.दि.
1.	केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा, डीओपीटी	-	-	-	65*	-

* श्रेणी-वार रिक्तियां यथासमय सूचित की जाएंगी।

3. आयोग परीक्षा-स्थल (स्थलों), केंद्र (केंद्रों), तिथि और समय को अपने विवेकानुसार बदल सकता है। यदि परिस्थितिवश आवश्यक हो तो आयोग किसी अभ्यर्थी को एक अलग केंद्र आवंटित कर सकता है। परीक्षा की तिथि में कोई भी बदलाव, यदि कोई हो, तो उसे क.च.आ.(मु.) (<https://ssc.gov.in>) / क.च.आ.-उ.क्षे. (<https://sscnr.nic.in>) की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

टिप्पणी-I:- अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में केंद्र परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी -II: -यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश प्रमाणपत्र में आयोग द्वारा निर्दिष्ट केंद्र के अलावा किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा में उपस्थित होता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

4. अनुसूचित जाति(अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) और बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) अभ्यर्थियों के लिए पदों का आरक्षण सेवा/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों (सीसीए) द्वारा रिपोर्ट की गई संबंधित श्रेणियों में रिक्ति स्थिति के अनुसार होगा।

5. इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करने के इच्छुक सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने नई वेबसाइट (<https://ssc.gov.in>) पर अपना एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें पंजीकरण करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) पर बनाया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर मान्य नहीं होगा। ओटीआर पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भर सकते हैं। नई वेबसाइट पर ओटीआर बन जाने के बाद, यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मान्य रहेगा।

6. परीक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट अर्थात् <https://ssc.gov.in> पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है :-

i. एक बारगी पंजीकरण

ii. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना ।

7. अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में केवल एक आवेदन पत्र जमा करना चाहिए। एक से अधिक आवेदन जमा करने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

8. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करते समय, आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीतियों के अनुसार आधार-आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें।

9. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, उसकी प्रिंट प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, "अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश" (अनुबंध-I) के अनुसार उनकी संबंधित सेवा/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से "क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (उत्तरी क्षेत्र), ब्लॉक नंबर 12, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003" को अग्रेषित की जानी चाहिए जो दिनांक 23.07.2026 (1800 बजे) तक पहुंच जाए।

10. विदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, "अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश" (अनुबंध- I) के अनुसार उनके संबंधित सेवा/केंद्र नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से "क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (उत्तरी क्षेत्र), ब्लॉक नंबर 12, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003" को अग्रेषित किया जाना चाहिए जो दिनांक 30.07.2026 (1800 बजे) तक पहुंच जाए ।

टिप्पणी-I :- केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए इस परीक्षा में प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा जिनका आवेदन उनके विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख द्वारा अग्रेषित किया गया हो। इसके अतिरिक्त, वे यह भी ध्यान रखें कि आयोग उनके आवेदन प्राप्त न होने या आवेदन देरी से प्राप्त होने की दशा में किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होगा। आयोग में उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदन (आवेदनों) को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को, उनके हित में, यह सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आवेदनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और पृष्ठांकित कर उनके विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख द्वारा इस प्रकार से अग्रेषित किया गया है कि उनके आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि और समय से काफी पहले पहुंच जाएं।

टिप्पणी-II:- आवेदकों के विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख को सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र इस प्रकार अग्रेषित करना होगा कि वे निर्धारित तिथि और समय तक कर्मचारी चयन आयोग के उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंच जाएं।

टिप्पणी-III:- अभ्यर्थी(अभ्यर्थियों) के आवेदन (आवेदनों) को अग्रेषित करते समय, संबंधित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी(अभ्यर्थियों) की मूल सेवा/संवर्ग इस परीक्षा के अंतर्गत भाग लेने वाली सेवा/ संवर्ग में से एक है और अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता शर्तों को पूरा कर रहा है।

11. इस परीक्षा से संबंधित सभी पत्राचार क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (उत्तरी क्षेत्र), ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को संबोधित किए जाने चाहिए और उनमें निम्नलिखित विवरण होने चाहिए :-

- (i) परीक्षा का नाम और वर्ष
- (ii) अभ्यर्थी का नाम (पूर्ण और बड़े अक्षरों में)
- (iii) अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम
- (iv) रोल नंबर या जन्म तिथि (यदि अभ्यर्थी को रोल नंबर प्राप्त नहीं हुआ है)
- (v) डाक पता जैसा कि आवेदन में दिया गया है

12. उपरोक्त पैरा-11 में यथा-वर्णित विवरण से रहित पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। इस परीक्षा से संबंधित कर्मचारी चयन आयोग के साथ सभी पत्राचार में, अभ्यर्थियों को अपने लिफाफों पर ऊपर निरपवाद रूप से शब्दों व अंकों में "वरिष्ठ सचिवालय सहायक / प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2025 (सीएससीएस, डीओपीटी)" अवश्य लिखना चाहिए।

अवर सचिव
कर्मचारी चयन आयोग (मु.)

अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों जैसे; कंप्यूटर आधारित परीक्षा और सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन के लिए उन्हें आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि सत्यापन के दौरान, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और सेवा रिकॉर्ड के मूल्यांकन से पहले या बाद में, यह पाया जाता है कि वे पात्रता संबंधी शर्तों में से किसी को पूरा नहीं करते हैं, तो परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले, अभ्यर्थियों को परीक्षा की विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवेदन किए गए पद के लिए पात्रता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करते हैं। किसी भी परिस्थिति में नोटिस में निर्धारित शर्तों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, अभ्यर्थियों को अनुबंध-IV (एकबारगी पंजीकरण) और अनुबंध-V (ऑनलाइन आवेदन पत्र) के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थियों को दिए गए अनुदेशों को पढ़ना चाहिए।

3. इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करने के इच्छुक सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने नई वेबसाइट (<https://ssc.gov.in>) पर अपना एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें पंजीकरण करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) पर बनाया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर मान्य नहीं होगा। ओटीआर पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भर सकते हैं। नई वेबसाइट (<https://ssc.gov.in>) पर ओटीआर बन जाने के बाद, यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मान्य रहेगा। इस विज्ञप्ति के अनुबंध-IV में ओटीआर हेतु विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

4. आवेदन पत्र एसएससी (मुख्यालय) की वेबसाइट (<https://ssc.gov.in>) पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जाना चाहिए। विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के अनुबंध-IV और अनुबंध-V को देखें। एक बारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र के नमूने प्रपत्र अनुबंध-IVक और अनुबंध-Vक के रूप में संलग्न हैं।

5. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करते समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीतियों के अनुसार आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें।

6. आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास अपनी पहले से मौजूद फोटो होना आवश्यक नहीं है। एप्लिकेशन माड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, अभ्यर्थी को एप्लिकेशन माड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर पर मोबाईल फोन /कंप्यूटर के कैमरे के सामने खड़ा होना/बैठना होगा और लाइव फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा:

क. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।

ख. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।

ग. अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें।

- घ. सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा चित्रित लाल आयताकार क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से है और यह न तो बहुत करीब है और न ही बहुत दूर है। इसे क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा आयत के बाहर नहीं होना चाहिए।
- ड. अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

7. अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि खींची गई फोटो स्पष्ट हो, टोपी या चश्मे के बिना हो और सामने का भाग दिखाई दे रहा हो। ऐसे ऑनलाइन आवेदन पत्र जिसमें फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं खींची गई है, अस्वीकृत किए जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसी सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र, जिनमें अभ्यर्थी की पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो खींची गई हो, सरसरी तौर पर रद्द कर दिए जाएंगे।

8. परीक्षा के दौरान लोगो द्वारा अभ्यर्थियों के प्रतिरूपण का प्रयास करने के मामले सामने आए हैं। इसलिए, परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के स्वरूप और आवेदन पत्र के साथ जमा की गई फोटो में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति न दें। अतः अभ्यर्थियों को अपने हित में यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि परीक्षा के दिन उनका स्वरूप आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार ही हो।

9. अभ्यर्थी को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए अपने हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अनुपयुक्त फोटो युक्त अथवा धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले और उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले आवेदनपत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

10. अभ्यर्थियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र, उपस्थिति पत्र, परीक्षा हॉल में आयोग की प्रति और आयोग के साथ सभी पत्राचार में किए गए हस्ताक्षर एक समान हों और उनमें किसी भी प्रकार का अंतर न हो। यदि हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है, तो आयोग द्वारा उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

11. अभ्यर्थी को अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

- (i) सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति जोकि उस विभाग के प्रमुख या कार्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत सत्यापित की गई हो जिसमें अभ्यर्थी आवेदन करते समय सेवारत है और जिसमें सरकारी कर्मचारी के विवरण अर्थात् अभ्यर्थी का पूरा नाम, उसके पिता का नाम, विवाहित सरकारी सेवारत महिलाओं के मामले में पति का नाम, राष्ट्रीयता, अनुसूचित जाति / जनजाति का नाम, यदि अभ्यर्थी ऐसी जाति या जनजाति से संबंधित हो, ईसा-वर्ष में जन्म-तिथि (अंकों व शब्दों, दोनों में), दर्शाया गया हो।
- (ii) आवेदन करते समय जहां वह कार्यरत है, उस कार्यालय के विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख द्वारा अनुप्रमाणित सेवा संबंधी विवरणों की सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें वेतनमान और पद-स्थिति, यथा- मूल, स्थानापन्न, स्थायी या अस्थायी सहित धारित पद दर्शाया गया हो।
- (iii) बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के मामले में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र।

टिप्पणी-I: कर्मचारी चयन आयोग यदि आवश्यक समझे तो सेवा पंजिका या अन्य दस्तावेजी प्रमाण मांग सकता है।

टिप्पणी-II: अभ्यर्थिता के समर्थन में प्रिंट किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ केवल स्व-सत्यापित कॉपी ही संलग्न की जानी चाहिए और कोई भी दस्तावेज मूलरूप में जमा नहीं किया जाना चाहिए।

12. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि कोई आवेदन अधूरा है या गलत तरीके से भरा गया है या उपरोक्त पैरा 11 के तहत उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेज के बिना है, तो आवेदनपत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इसकी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय दिनांक 16.07.2026 (2300 बजे तक) है।

14. अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अत्यधिक व्यस्तता के कारण एसएससी की वेबसाइट पर लॉगिन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके। उपर्युक्त कारणों या आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से, अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि तक आवेदन जमा न कर पाने की स्थिति में, आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

15. अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को पूर्वावलोकन/ प्रिंट विकल्प के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन पत्र के प्रत्येक भाग में सही जानकारी भरी है। उन्हें यह भी जांच कर लेनी चाहिए कि फोटो और हस्ताक्षर उपरोक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन की एक प्रति अपने पास रखने की सलाह दी जाती है।

17. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उन्हें कोई भी गलत/त्रुटिपूर्ण/भ्रामक सूचना नहीं देनी चाहिए या किसी महत्वपूर्ण जानकारी को नहीं छिपाना चाहिए।

18. आयोग परीक्षा के समय, पात्रता और अन्य पहलुओं हेतु ऑनलाइन आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता मानदंडों की आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनिश्चित कर लें कि वे पद(पदों) के लिए पात्र हैं।

19. वे सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में निर्धारित तिथि व समय तक पंजीकरण और आवेदन करते हैं और जिनके आवेदन इस परीक्षा की विज्ञप्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकृत किए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक आवंटित किए जाएंगे और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश प्रमाण पत्र (एसी) जारी किए जाएंगे।

20. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी चरण हेतु प्रवेश प्रमाणपत्र डाक द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित किसी भी अपडेट और जानकारी के लिए आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।

21. अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन केवल दिल्ली-एनसीआर में ही किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित जानकारी, जिसमें समय सारिणी और परीक्षा केंद्र का विवरण शामिल होगा, परीक्षा की तिथि से लगभग 10 दिन पहले आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट अर्थात् <https://sscni.nic.in> पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पहले तक, आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर अपना विवरण नहीं मिलता है, तो उसे आवेदन जमा करने के प्रमाण के साथ तुरंत आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए जिसमें विफल होने पर परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता पर विचार किए जाने के किसी भी दावे से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा क.च.आ. (उत्तरी क्षेत्र) की वेबसाइट पर परीक्षा से 3-4 दिन पहले उपलब्ध होगी।

टिप्पणी:- अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि विदेश में स्थित किसी भी भारतीय दूतावास में कोई परीक्षा केंद्र नहीं होगा। विदेश में स्थित किसी भारतीय दूतावास में कार्यरत अभ्यर्थी को यह परीक्षा भारत में अपने खर्च पर देनी होगी।

22. आयोग किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आयोग किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर भेजने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

23. परीक्षा में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए सरकारी कर्मचारी के नियोक्ता द्वारा जारी किया गया विभागीय पहचान पत्र (मूल) और प्रवेश प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग से कोई यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

24. जिन अभ्यर्थियों ने ओटीआर के दौरान आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं किया है, उन्हें परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा और अनिवार्य रूप से कम से कम दो पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो और प्रवेश प्रमाणपत्र पर छपी जन्मतिथि वाला मूल वैध फोटो-पहचान पत्र साथ लाना होगा; अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे कि:

24.1 मतदाता पहचान पत्र

24.2 ड्राइविंग लाइसेंस

24.3 पैन कार्ड

24.4 पासपोर्ट

24.5 राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र।

25. यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (अर्थात् सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र, अंक सूची (मार्क्सशीट), जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र आदि) अवश्य लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र और जन्म-तिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए फोटो पहचान-पत्र / प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म-तिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकृत अभ्यर्थियों के लिए यह शर्त लागू नहीं है।

26. पैरा 35 (क), 35 (ख), 35 (ग) के अनुसार, प्रलिपिक/तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा का लाभ उठाने वाले दिव्यांग /बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी जैसाकि प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट है, चिकित्सा प्रमाण पत्र/वचन पत्र/

प्रलिपिक के फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी और मूल दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

27. अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने के समय प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज भी साथ लाना होगा।

28. कर्मचारी चयन आयोग प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसार कर्मियों की भर्ती करता है। प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन में उत्पन्न होने वाली कुल रिक्तियों (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज), बैकलॉग रिक्तियों, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत रिक्तियों के पृथक्करण और भरी जाने वाली रिक्तियों के निर्धारण में आयोग की कोई भूमिका नहीं है।

29. परीक्षा के लिए नियम:-

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2025 के लिए आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियम, केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा, डीओपीटी के वरिष्ठ सचिवालय सहायक/ प्रवर श्रेणी लिपिक की चयन सूची में शामिल होने के लिए है, सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित किए जाते हैं।

30. निर्णायक तिथि और पात्रता की शर्तें :-

सेवा/ संवर्ग का नाम	मान्य सेवा की गणना के लिए निर्णायक तिथि	पात्रता की शर्तें
केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा, डीओपीटी	अगस्त, 2025 का पहला दिन (01.08.2025)	कोई भी नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा: - सेवावधि – निर्णायक तिथि पर सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में उसकी कम से कम 'पांच वर्षों' की मान्य और निरंतर सेवा होनी चाहिए बशर्ते कि यदि वह सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा सहित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के कनिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो, तो ऐसी परीक्षा का परिणाम निर्णायक तिथि से कम से कम पांच वर्ष पहले घोषित होना चाहिए और उसकी उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की मान्य और निरंतर सेवा होनी चाहिए। बशर्ते कि दिनांक 09.12.1995 जीएसआर सं. 541 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित डीओपीटी की दिनांक 22.11.1995 की अधिसूचना संख्या 12/3/93-सीएस.॥ के

		माध्यम से रूपांतरित/संशोधित, सैन्य कर्तव्यों पर उसकी अनुपस्थिति की किसी भी अवधि को 'अवर श्रेणी ग्रेड' में सेवा की निर्धारित अवधि के लिए गिना जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से प्रतिनियुक्ति पर पूर्व-संवर्ग पदों पर नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक, यदि अन्यथा पात्र हैं, तो परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। बशर्ते कि यह नियम उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पूर्व-संवर्ग पद या अन्य सेवा में स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किया गया है और जिनका सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में कोई धारणाधिकार (लियन) नहीं है। टंकण परीक्षा: जब तक उसे अवर श्रेणी ग्रेड में पुष्टिकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग या एसएससी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट नहीं मिल जाती, उसे परीक्षा की अधिसूचना की तारीख पर या उससे पहले यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। नोट: आपातकाल के कारण सैन्य सेवा में शामिल होने वाले अवर श्रेणी लिपिकों की पात्रता के संबंध में विशेष प्रावधान- इस संबंध में लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विधि से उन अवर श्रेणी लिपिकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जो आपातकाल के दौरान सैन्य सेवा में शामिल होने (या बुलाए जाने) के कारण परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
--	--	---

31. अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) अभ्यर्थियों और बेंचमार्क दिव्यांगजनों (बे.दि.) के लिए आरक्षण, जहां भी लागू और स्वीकार्य है, मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार संबंधित सेवा/ संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और सूचित किया जाएगा।

32. यदि निर्धारित मानक के आधार पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं जो उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भर सके (विभागीय परीक्षा/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आदि के माध्यम से पदोन्नति के मामले में), तो इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को शिथिल मानक पर चयनित किया जा सकता है। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले सभी बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए समान शिथिल मानक लागू

किया जाएगा, भले ही वे अनारक्षित/ अ.जा. / अ.ज.जा. श्रेणी से संबंधित हों। किसी भी श्रेणी के किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में मानकों में किसी और शिथिलता पर विचार या स्वीकार नहीं किया जाएगा।

33. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांगजन से संबंधित अभ्यर्थी जिन्हें आयोग द्वारा ऊपर उल्लिखित शिथिल मानक का सहारा लिए बिना अनुशंसित किया गया है, उन्हें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा।

34. कोई अभ्यर्थी जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद या उसमें उपस्थित होने के बाद, अपनी नियुक्ति से इस्तीफा दे देता है या अन्यथा सेवा छोड़ देता है या उससे अपना संबंध तोड़ देता है या जिसकी सेवाएं उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती

35. **प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सहायता और प्रतिपूरक समय का प्रावधान :**

- क. नेत्रहीनता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में आने वाले बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक उपकरणों की सुविधा दी जाएगी बशर्ते कि अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय इस हेतु आयोग से अनुरोध किया हो, फॉर्म भरते समय जरूरी दिव्यांगता प्रमाणपत्र (विज्ञप्ति का अनुबंध-VII/ अनुबंध-VIII) अपलोड किया हो तथा बशर्ते कि उक्त पद इन श्रेणियों की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त माने जाएं।
- ख. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले शेष श्रेणियों के व्यक्तियों के मामले में, सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अनुबंध -II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने से संबंधित शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस अत्यावश्यक है। साथ ही, आवेदन पत्र भरते समय आवश्यक प्रमाणपत्र (अनुबंध-II/ अनुबंध-VII/ अनुबंध-VIII के अनुसार दिव्यांगता प्रमाणपत्र) अपलोड करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों द्वारा अनुबंध-II/ दिव्यांगता प्रमाणपत्र के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता का सत्यापन आयोग द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- ग. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी दिनांक 10.08.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 29-6/2019-डीडी-III के अनुसार, 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में अक्षम दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा अनुबंध-III में दिए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, आवेदन पत्र भरते समय आवश्यक प्रमाण पत्र (अनुबंध-III/ अनुबंध-VII/ अनुबंध-VIII के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र) अपलोड करना अपेक्षित है। अनुबंध-III/दिव्यांगता प्रमाणपत्र के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दिव्यांगजन प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता का सत्यापन आयोग द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- घ. बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदनपत्र में इस विकल्प का चयन किया हो।
- ड. उपर्युक्त पैरा 35 (क), 35 (ख) एवं 35 (ग) के अनुसार सहायक प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा के लिए पात्र व्यक्तियों को परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जाएगा।

- च. उपर्युक्त पैरा 35 (क), 35 (ख) एवं 35 (ग) से संबंधित अभ्यर्थी, जो प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा लेने के पात्र हैं, परंतु इस सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जाएगा।
- छ. बेंचमार्क दिव्यांग / दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा और/ अथवा प्रतिपूरक समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय, प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस / प्रतिपूरक समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे सहायक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

36. परीक्षा की योजना: परीक्षा निम्नलिखित पाठ्यक्रम और योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी:

भाग- I: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (200 अंक)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि
(क) बोधगम्यता और सामान्य अंग्रेजी	50	50	3 घंटे (प्रलिपिक* के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे)
(ख) संसदीय कार्यप्रणाली	50	50	
(ग) सामान्य जानकारी	50	50	
(घ) टिप्पण एवं प्रारूपण	50	50	

* उपर्युक्त पैरा 35 (क), 35 (ख) एवं 35 (ग) के अनुसार।

- (i) भाग-I में 200 अंक की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) शामिल हैं। इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा।
- (ii) केवल बोधगम्यता और सामान्य अंग्रेजी के खंड “सामान्य अंग्रेजी”, जिसे अंग्रेजी में ही दिया जाना है, के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में चयनित भाषा (अंग्रेजी/हिंदी) में ही परीक्षा देनी होगी। दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ब्रेल लिपि के प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं होगा।
- (iii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजियां परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी देख सकते हैं और अभ्यावेदन, यदि कोई है, तो रु. 50/- प्रति प्रश्न का भुगतान कर, जोकि अप्रतिदेय है, आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर, ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन; अर्थात्, पत्र, आवेदन, ईमेल आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले उत्तर कुंजियों के संबंध में अभ्यावेदन की जांच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजियां परिणाम की घोषणा के बाद जारी की जाएंगी।

(iv) चुनौती/आपत्ति/अभ्यावेदन प्रबंधन प्रणाली के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 10.04.2026 की विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित किए गए हैं। अभ्यर्थी कृपया इन्हें पढ़ें, क्योंकि चुनौती/आपत्ति/अभ्यावेदन प्रबंधन इन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(v) परीक्षा के किसी भी चरण/ पेपर (पेपरों) में अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) परीक्षा विज्ञप्ति में दर्शाया गया परीक्षा का कार्यक्रम संभावित है। परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी बदलाव की सूचना अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी।

भाग-II सेवा अभिलेख का मूल्यांकन (100 अंक):

- (i) सेवा अभिलेख (एपीएआर) के मूल्यांकन के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। अभ्यर्थी का रैंक तय करने के लिए भाग-II में प्राप्त अंक जोड़े जाएंगे।
- (ii) एक बार एपीएआर का मूल्यांकन हो जाने के बाद, किसी भी परिस्थिति में आयोग द्वारा अगली तारीख पर एपीएआर प्रेडिंग आदि में बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

37. **पाठ्यक्रम:** कंप्यूटर आधारित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा:

विषय	प्रश्नों की संख्या
(क) बोधगम्यता (अंग्रेजी/ हिंदी) और सामान्य अंग्रेजी	अभ्यर्थियों की परीक्षा, सामान्य रचना और व्यावहारिक व्याकरण में ली जाएगी।
(ख) संसदीय कार्यप्रणाली	संसदीय प्रश्न के संचालन और संसदीय सत्र से संबंधित सामान्य प्रश्न।
(ग) सामान्य जानकारी	समसामयिक घटनाओं, दैनिक अवलोकन के विषयों, अनुभव और भारत के संबंध में सामान्य जानकारी का ज्ञान।
(घ) टिप्पण /प्रारूपण	नवीनतम सीएसएमओपी के अध्याय 7, 8 और 9 से सामान्य प्रश्न, अर्थात् टिप्पण, पत्राचार, पत्राचार के प्रारूपण पर दिशानिर्देश, कार्यविधि और कार्यपद्धति बनाना।

38. **चयन की प्रक्रिया:**

- i. आयोग अपने विवेकानुसार भाग-I अर्थात् कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के लिए न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित कर सकता है।

- ii. भाग-I अर्थात् सीबीई में प्रदर्शन के आधार पर, अभ्यर्थियों को भाग-II अर्थात् सेवा अभिलेख के मूल्यांकन हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो अभ्यर्थी भाग-I (अर्थात् सीबीई) में उत्तीर्ण नहीं होंगे, वे भाग-II अर्थात् सेवा अभिलेख के मूल्यांकन हेतु पात्र नहीं होंगे और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iii. अंतिम चयन, भाग-I (सीबीई) तथा भाग-II (एपीएआर मूल्यांकन) में अभ्यर्थियों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
- iv. परीक्षा के बाद, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नाम मेरिट सूची में प्रत्येक अभ्यर्थी को अंतिम रूप से दिए गए कुल अंकों के साथ, आयोग द्वारा व्यवस्थित किए जाएंगे ताकि आयोग द्वारा परीक्षा में अर्हक पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को सीएससीएस के वरिष्ठ सचिवालय सहायक/ प्रवर श्रेणी लिपिक हेतु अपेक्षित रिक्तियों की संख्या तक चयनित सूचियों में शामिल करने की अनुशंसा की जा सके।
- v. बशर्ते कि आयोग द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक शिथिल मानक द्वारा अनुशंसा की जा सकेगी जोकि इन अभ्यर्थियों की सेवा में चयन की उपयुक्तता के अध्यधीन है।
- vi. बशर्ते कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा इस उपनियम में उल्लिखित शिथिल मानकों के दिए बिना ही अनुशंसा की गई है, उन्हें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा।
- vii. वरिष्ठ सचिवालय सहायक/प्रवर श्रेणी लिपिक का चयन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बेंचमार्क दिव्यांग की श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के अध्यधीन, योग्यता के क्रम में, संबंधित सेवा/संवर्ग द्वारा सूचित रिक्तियों की संख्या के अनुसार, उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों की अनुशंसा नहीं की गई है उनके अंक कट-ऑफ अंक से कम हैं; अर्थात्, वे मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए हैं और परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं कर पाए हैं।
- viii. अभ्यर्थियों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगी परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर, सीएससीएस, डीओपीटी के वरिष्ठ सचिवालय सहायक/ प्रवर श्रेणी लिपिक हेतु चयन सूची में कितने अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए जाएं, यह तय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए, कोई भी अभ्यर्थी अधिकार के तौर पर इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किये जाने का कोई दावा नहीं करेगा।
- ix. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी यथा आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि सेवा में उसके आचरण को देखते हुए अभ्यर्थी हर प्रकार से चयन के लिए उपयुक्त है।

39. बराबरी (टाई) के मामलों का समाधान:

ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी समान कुल अंक प्राप्त करते हैं, बराबरी का समाधान होने तक दिए गए क्रम में निम्नलिखित तरीकों को एक के बाद एक लागू करके बराबरी का समाधान किया जाएगा।

- (i) सीबीई में प्राप्त अंक
- (ii) सीबीई के 'बोधगम्यता और सामान्य अंग्रेजी' के विषय में प्राप्त अंक
- (iii) सीबीई के 'संसदीय कार्यप्रणाली' विषय में प्राप्त अंक
- (iv) सीबीई के 'सामान्य जानकारी' विषय में प्राप्त अंक
- (v) जन्म तिथि, अधिक आयु के अभ्यर्थी को पहले लिया जाएगा
- (vi) वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं।

40. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

- i. आयोग परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत रूप से परीक्षा-पश्चात विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी फुटेज समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच करना भी शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर आयोग की नीति के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा सकती है जिसमें अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द करना और उसे भविष्य की परीक्षाओं से वारित करना शामिल है।
- ii. यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान या उसके पश्चात निम्नलिखित सूचीबद्ध कदाचारों में से किसी में भी संलिप्त पाए जाते हैं, तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और इसके अतिरिक्त प्रवृत्त कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्र.सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	1-2 वर्ष
2	निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए बिना परीक्षा स्थल को छोड़ना।	1 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	2-3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना / अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना।	3 वर्ष
5	जानबूझकर गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना/ महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	1-3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, वायरलेस उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना।	3-5 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना/प्रयास करना।	2-5 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हो।	3 वर्ष

10	जानबूझकर परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	1-3 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों/हथियारों को रखना अथवा आग्नेय शस्त्रों /हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना/धमकाना या परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों जैसे- पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
13	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे-कागज या शारीरिक अंगों पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
14	प्रतिरूपण /किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिरूपण में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
15	प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का स्नैपशॉट लेना, वीडियो बनाना आदि।	7 वर्ष
16	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लेन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनल को साझा करना।	7 वर्ष
17	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष
18	अभ्यर्थी जिसका एक ही परीक्षा में प्रलिपिक के रूप में बैठना अथवा प्रलिपिक के बारे में गलत जानकारी घोषित करना।	3-5 वर्ष
18 क	अभ्यर्थी/ प्रलिपिक का एक ही परीक्षा में 'स्वयं के प्रलिपिक' के रूप में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
18 ख	अभ्यर्थी द्वारा ऐसे प्रलिपिक की सेवाएं लेना, जिसे भर्ती प्रक्रिया से वारित कर दिया गया हो।	3 वर्ष
19	परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि प्रलिपिक स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है या अभ्यर्थी को किसी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तरीके से उत्तर देने के लिए प्रेरित कर रहा है।	7 वर्ष
20	अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न भर्तियों में अलग-अलग पिता का नाम, जन्मतिथि आदि के साथ आवेदन करना अथवा इसके विपरीत।	1-5 वर्ष
21	प्रतिरूपणकर्ता (कर्मचारी चयन आयोग के रिकार्ड के अनुसार) अभ्यर्थी के लिए प्रलिपिक के रूप में उपस्थित होना।	7 वर्ष
22	कर्मचारी चयन आयोग की एक ही परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के रूप में उपस्थित होना अथवा ऐसे प्रलिपिक को नियुक्त करने वाला अभ्यर्थी।	5-7 वर्ष
23	परीक्षा के दौरान किसी अन्य अभ्यर्थियों से बात करना/संपर्क करना या अन्य अभ्यर्थियों के कंप्यूटर में झांकना।	1-3 वर्ष

नोट :- ऊपर उल्लिखित कदाचारों की सूची केवल उदाहरण के तौर पर दी गई है तथा यह परिपूर्ण नहीं है। आयोग किसी भी अभ्यर्थी विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार रखता है यदि अभ्यर्थी किसी ऐसे आचरण में लिप्त पाया जाता है जिसे आयोग द्वारा 'कदाचार' माना गया है।

iii. उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या यथा-स्थिति ऐसा करने के लिए उकसाया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन) चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे:-

- (I) आयोग द्वारा उस परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसका वह अभ्यर्थी है अथवा
- (II) उसे या तो स्थायी रूप से या एक विशेष अवधि के लिए वारित किया जा सकता है:

क. आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या उनके किसी चयन से,

ख. केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से और

ग. उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक और कोई अन्य उपर्युक्त कानूनी कार्रवाई।

iv. आयोग उचित लगने पर मामले को पुलिस /जांच एजेंसी को भी रिपोर्ट कर सकता है और आयोग संबंधित अधिकारियों / फॉरेंसिक विशेषज्ञ से मामले की जांच कराने के लिये यथोचित कार्रवाई भी कर सकता है।

v. अभ्यर्थी द्वारा यदि किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश की जाती है तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

41. आवेदन पत्र भरने/जमा करने और कंप्यूटर आधारित परीक्षा से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं:

i. हेल्प डेस्क (एसएससी-मुख्यालय) 1800 309 3063 (टोल फ्री)

ii. एसएससी (उत्तरी क्षेत्र), नई दिल्ली 011-24363343

42. आयोग का निर्णय अंतिम: पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने और पदों के आबंटन, कदाचार में संलिप्त होने पर वारित करने से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में किसी पूछ-ताछ/ पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

43. न्यायालय का क्षेत्राधिकार : इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय / न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (परीक्षाएं) दी है अर्थात् उत्तरी क्षेत्र।

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री
....., ग्राम/जिला/राज्य के निवासी हैं, जोकि(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा - उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं उनकी लेखन क्षमताओं को प्रभावित करती हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात् दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री / सुश्री / श्रीमती(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र / सुपुत्री , निवासी(ग्राम / डाकघर / थाना / जिला / राज्य), आयु वर्ष, (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और उल्लेख करते हैं कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और _____ (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम))	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	व्यवसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध है)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल / स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:

तारीख:

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'एक बारगी पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार, अपने ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। जो अभ्यर्थी आधार आधारित प्रणाली के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते, उन्हें अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
3. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
 - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
 - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज को दिखाना होगा)
 - i. मतदाता पहचान पत्र
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
 - v. नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी)
 - घ. बोर्ड, अनुक्रमांक और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।
4. एक बारगी पंजीकरण के लिए, आयोग की नई वेबसाइट अर्थात् <http://ssc.gov.in> पर दिए गए 'Login or register' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
5. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
 - क. व्यक्तिगत विवरण
 - ख. पासवर्ड बनाना
 - ग. अतिरिक्त जानकारीयां
 - घ. घोषणा।
6. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:

- क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात् आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं, तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
- ख. क्रम संख्या- 1: आधार संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:-
- (i) नाम के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज
 - (ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र,
 - (iii) पते के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट, आयकर असेसमेंट आदेश।
 - (iv) फोटो।
 - (v) लिंग के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।
- ग. क्रम संख्या- 2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- घ. क्रम संख्या- 3: यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 3क और 3ख में करें।
- ङ. क्रम संख्या- 4: अपना लिंग बताएं (पुरुष/महिला)।
- च. क्रम संख्या- 5: अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ. क्रम संख्या- 6: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ज. क्रम संख्या- 7: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- झ. क्रम संख्या- 8 से 10: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:
- i. शिक्षा बोर्ड का नाम
 - ii. रोल नंबर
 - iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ञ. क्रम संख्या- 11: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

- ट. क्रम संख्या- 12: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो कर्मचारी चयन आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ठ. क्रम संख्या- 13: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ड. जब क्रम संख्या 1 से 13 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सेव हो जाएगा और पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपकी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण. अपनी पंजीकृत संख्या को उपयोगकर्ता नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें।

पासवर्ड बनाना

- त. पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- थ. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगइन करना होगा।
- द. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'मूलभूत विवरण' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'Next' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

अतिरिक्त विवरण

- ध. क्रम संख्या- 1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- न. क्रम संख्या- 2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- प. क्रम संख्या- 3: यदि आप भारतीय नागरिक के अलावा कोई अन्य हैं तो कृपया संपर्क विवरण प्रदान करें।
- फ. क्रम संख्या- 4: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

- ब. क्रम संख्या- 5: कृपया यदि कोई बैचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- भ. क्रम संख्या- 6 से 7: अपना स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डाटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- म. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट का प्रिंट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- य. 'Declaration' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें।
- र. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दो अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।
- ल. मूलभूत विवरण प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
7. आप अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) विवरण को संपादित/ संशोधित नहीं कर सकते हैं अतः आपको एक बारगी पंजीकरण में जानकारी भरते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। गलत/त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण आपकी अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है।
8. आपको पुनः चेतावनी दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

एकबारगी पंजीकरण के स्क्रीनशॉट्स

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register

← Homepage > One Time Registration

New Candidate

One Time Registration



Personal Details
Candidate's Name,
Identification, Contact



Password Creation
Create New Password



Additional Details
Candidate's
Nationality, Address,
Education



Declaration
Candidate's Details,
Confirmation

Note
Candidates must be very cautious while filling up One Time Registration (OTR) details. Your candidature may get cancelled in case incorrect or wrong information is furnished.

Continue



**Staff Selection
Commission**

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended
Willing Candidates

Useful links

- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website



Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register



← Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *

Yes

No

3.1. Documents *

Please Upload Name Proof (Aadhaar card, Voter ID card, PAN card, Driving License, Government ID card, Government service identity card, Pension document.)

Choose File

No file chosen

Please Upload DOB Proof (Birth certificate, School leaving certificate, Certificate of date of birth issued by a Gazetted officer, Aadhar card)

Choose File

No file chosen

Please Upload Address Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Driving License, A bank statement with an attested photograph of the applicant, Rent Agreement, Income tax assessment order.)

Choose File

No file chosen

Please Upload Photo

Choose File

No file chosen

Please Upload Gender Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Birth certificate, School leaving certificate.)

Choose File

No file chosen

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/ Smt/ Mr/ Ms/ Dr/ Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *

Yes

No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *

Select

a. Verify Gender *

Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *

dd-mm-yyyy

1. Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *

dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *

Select

Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *

Select

9. Roll Number *

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Only / and - are allowed. Please enter Roll number without any other special character(s).

3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *

Select

a. Verify Year of Passing *

Select

11. Highest Level of Education Qualification *

Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *

Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number.

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID.

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next



Staff Selection
Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended
Waiting Candidates

Useful links

Archives

Disclaimer

Sitemap

Help

Website Policies

Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

24

**Personal Details**Candidate's name, identification,
contact**Password Creation**

Create New Password

**Additional Details**Candidate's nationality, address,
education**Declaration**

Candidate's details confirmation

[← Homepage](#) > [One Time Registration](#)

Dear Candidate, This is Your First Login !

Please Set a New Password

Registration Number *

10000000459

Old Password *



New Password *



Please Enter a Valid Password.

Note

- Password must be minimum 8 characters
- Include one or more uppercase letters
- Include one or more lowercase letters
- Include one or more number
- Include one or more special character
- Password must not contain spaces or tabs
- Password must not exceed 25 characters
- Use only allowed special characters: @ # \$ % ^ & + = ! * ? _ -
- Password must not contain repeated characters (e.g., aaa, 1111)
- Password must not be all numbers
- Password must not be all alphabets

Confirm Password *

**Security Questions****Note**

- Security Questions allow you to regain entry to your account if you have forgotten your password and no longer have access to the email or Mobile number associated with your account.

Security Question: 1 *

Select



Answer *

Security Question: 2 *

Select



Answer *

[Reset](#)[Save & Next](#)**Useful links**[Archives](#)
[Disclaimer](#)
[Sitemap](#)
[Help](#)
[Website Policies](#)
[Web Information Manager](#)**Contact Us**[Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi](#)

[← Homepage](#) > [One Time Registration](#)**Personal Details**

Candidate's name, identification, contact

**Password Creation**

Create New Password

**Additional Details**

Candidate's nationality, address, education

**Declaration**

Candidate's details confirmation

One Time Registration

Additional Details**1. Category ***

EWS

a. Verify Category *

EWS

2. Nationality *

Citizen of India

3. Contact Details For Other Nationals**4. Visible Identification Marks ***

MOLE ON NOSE

5. Are you Person With Benchmark Disability (PwBD)? *☐ Yes ☒ No**a. Type of Disability****Note**

VH : Blindness and Low vision

HH : Deaf and hard of hearing

OH : Locomotor disability, including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack, victims, & muscular dystrophy

Others : Autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

b. Disability Certificate Number**6. Permanent Address *****a. Address *****b. State/UT ***

Select

c. District *

Select

d. Pin Code ***7. Is Present Address same as Permanent Address? ***☐ Yes ☒ No**a. Address *****b. State/UT ***

Select

c. District *

Select

d. Pin Code *[Save & Next](#)**Staff Selection
Commission**Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended
Willing Candidates**Useful links**[Archives](#)
[Disclaimer](#)
[Sitemap](#)
[Help](#)
[Website Policies](#)
[Web Information Manager](#)**Contact Us**[Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi](#)

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:

क. एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि खींची गई फोटो स्पष्ट हो, टोपी या चश्मे के बिना हो, और सामने का भाग पूरी तरह दिखाई दे। स्वीकृत /अस्वीकृत फोटो के नमूने अनुबंध-VE में दिए गए हैं। यदि खींची गई फोटो स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं हैं, तो रद्द किए जा सकते हैं। परीक्षा में अभ्यर्थी का स्वरूप आवेदन पत्र में दी गई फोटो के अनुरूप होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को लाइव फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा :-

- (i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।
- (ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।
- (iii) अपने आप को कैमरे के सामने रखें और सीधे देखें।
- (iv) यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे में चित्रित लाल आयताकार स्थान के अंदर पूरी तरह समाहित हो और यह न तो बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस आयताकार स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए।
- (v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

ख. जेपीईजी/जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। लघु / धुंधले / अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

2. अपनी 'पंजीकरण संख्या' और 'पासवर्ड' के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. "लाइव परीक्षा" टैब के अंतर्गत खंड "Senior Secretariat Assistant/ Upper Division Clerk Grade Limited Departmental Competitive Examination, 2025 (CSCS, DoPT)" में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. कॉलम संख्या 1 से 18 में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एक बारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण विवरण में संशोधन करना चाहते हैं तो आपके डैशबोर्ड के बाएं हाथ के ऊपरी कोने पर दिए गए "Modify Registration" टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उचित सुधार कर लें।
5. क्रमांक 19: सेवा /संवर्ग केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा, डीओपीटी होगा।
6. क्रम क्रमांक 20: परीक्षा का वर्ष 2025 होगा।
7. क्रम संख्या-21 और 21.1: कृपया संबंधित फीडर सेवा/संवर्ग में नियुक्ति की तिथि और सेवा अवधि बताएं। अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा सं. 30 के अनुसार पात्र हैं।

8. क्रम संख्या-22: परीक्षा केंद्र केवल दिल्ली एनसीआर रहेगा।
9. क्रम संख्या-23.1: सूचना प्रदान करें कि आप दृष्टिहीनता (दृ.दि.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। क्रम सं. 9.1 के अनुसार यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांगन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 23.1 में ‘Yes’ का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय हेतु पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय कम से कम 40 प्रतिशत दृ.दि. (दृष्टिहीनता /अल्प दृ.) के साथ बहु दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 35(क) का संदर्भ लें।
10. क्रम संख्या-23.2: सूचना प्रदान करें कि आप प्रमस्तिष्क पक्षाघात (प्र.प.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांगन – अ.दि. और बेंचमार्क दिव्यांगन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 23.2 में ‘Yes’ का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि, इन अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र भरते समय अपेक्षित प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा और परीक्षा के समय भी उसे मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 35(क) का संदर्भ लें।
11. क्रम संख्या-23.3: परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 35(ख) अथवा 35(ग) के अनुसार, यदि आप शारीरिक रूप से लिखने में सक्षम नहीं है और आपकी तरफ से लिखने के लिए प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की आवश्यकता है, तो इंगित करें। यह विकल्प उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा जो बेंचमार्क दिव्यांगन – दृ.दि. अभ्यर्थी हैं अथवा जिन्होंने क्रम सं. 23.1 या 23.2 में ‘Yes’ का चयन किया है। यह विकल्प सभी अन्य बेंचमार्क दिव्यांगन तथा गैर-बेंचमार्क दिव्यांगन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 23.3 में ‘Yes’ का चयन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगन अभ्यर्थी प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के **अनुबंध-II** के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। बेंचमार्क दिव्यांगन से भिन्न अभ्यर्थी (अर्थात् 40 प्रतिशत कम दिव्यांगता वाले) जिन्होंने क्रम सं. 23.3 में ‘Yes’ का चयन किया है, प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र भरते समय परीक्षा विज्ञप्ति के **अनुबंध-III** के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा और परीक्षा के समय भी उसे मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 35(ख) अथवा 35(ग) को देखें।
12. क्रम संख्या- 23.4: प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस के रूप में सहायक की आवश्यकता को इंगित करें।
13. क्रम संख्या- 24: कृपया परीक्षा का माध्यम चुनें।
14. क्रम संख्या- 25: कृपया आवेदन करते समय उस मंत्रालय / विभाग/ कार्यालय का नाम तथा पूरे पते का विवरण दें जिसमें आप कार्यरत हैं।
15. क्रम संख्या- 25.1 और 25.2 : कृपया विभागाध्यक्ष /कार्यालय प्रमुख का नाम और पदनाम, टेलीफोन नंबर तथा ईमेल(जीओवी /एनआईसी) प्रदान करें।
16. क्रम संख्या- 26.1: कृपया ‘Yes’ या ‘No’ का चयन करें।

17. क्रम संख्या 26.2 से 26.4: कृपया अपने रोजगार का विवरण प्रदान करें।
18. क्रम संख्या 27: कृपया वह तिथि बताएं जब से आप अपने संवर्ग/सेवा में नियमित जेएसए/एलडीसी के रूप में निरंतर कार्यरत हैं।
19. क्रम संख्या 28.1 से 28.4: कृपया पूर्व-संवर्ग / प्रतिनियुक्ति/ धारणाधिकार (लियन) पद से संबंधित अन्य विवरण प्रदान करें।
20. क्रम संख्या 29: कृपया कालानुक्रमिक क्रम में सेवा का पूर्ण विवरण प्रदान करें।
21. क्रम संख्या 30.1 से 30.4: कृपया टंकण-लेखन परीक्षा का विवरण प्रदान करें।
22. क्रम संख्या-31.1 से 31.3: कृपया अपेक्षित दस्तावेज/प्रमाणपत्र अपलोड करें। पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
23. ऊपर क्रम सं.-1 में दिए गए निर्देशानुसार अपनी फोटो खींचें। धुंधले फोटो वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
24. ऊपर क्रम सं.-1 में दिए गए निर्देशानुसार अपने हस्ताक्षर अपलोड करें। लघु/धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
25. पूर्वावलोकन करते समय, कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी सही है और ऊपर विज्ञप्ति में विभिन्न स्थानों पर उल्लिखित फोटो/हस्ताक्षर संबंधी निर्देशों का विधिवत पालन किया गया है और आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करें।
26. "I agree" चेकबॉक्स पर क्लिक करें और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा पूरी करें। पूर्वावलोकन में प्रदर्शित अपने आवेदन डाटा की सत्यता की पुष्टि कर "Submit Application" पर क्लिक करें।
27. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर, इसे अनंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड हेतु आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्क्रीनशॉट्स

Feedback SSC Old Website


Government of India
Staff Selection Commission




Application Form

Senior Secretariat Assistant / Upper Division Clerk Grade Limited Departmental Competitive Examination, 2025
[Central Secretariat Clerical Service (CSCS) Cadre of Department of Personnel & Training (DoPT)]

Instructions to follow

- Read the [notice of examination](#) carefully.
- Please be careful and provide correct details in the application form.
- For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself / herself. The application module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the application form. For this purpose, the candidate has to stand / sit before the camera when prompted by the application module and follow the instructions.
- The photograph can be captured using a webcam or smartphone.
- The candidate should also have a scanned copy of his / her signature in JPEG / JPG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 6.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Applications with blurred/miniature signature will be rejected.

- परीक्षा-विह्वल को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फोटो की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फोटो लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।
- फोटो वेबकैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है।
- अभ्यर्थी को जेपीईजी / जेपीजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (वोइड) X 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Fill Form >



1 Candidate Information

Personal Details

2 Additional Information

Additional Information-I

Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

[←](#) Candidate Dashboard > Personal Details

Personal Details

Note: Information in columns at S No-1 to 18 will be filled automatically from your One-time Registration Data which is non-editable. However, if you want to modify any of the One-time Registration details, click on 'Edit Registration Details' button provided at the righthand top corner of 'Candidate Dashboard' and make suitable corrections before proceeding further.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)

2. New / Changed Name:

3. Father's Name:

4. Mother's Name:

5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):

6. Age as on 01/08/2025:

7. Gender:

8. Category:

9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD)?:

9.1. If Yes, Type of Disability:

10. Nationality:

10.1. Contact details for Other Nationals:

11. Visible Mark of Identification:

12. Matriculation (10th Class) Examination Board:13. Matriculation (10th Class) Year of Passing14. Matriculation (10th Class) Roll No.:

15.1. Permanent Address:

15.2. State:

15.3. District:

15.4. PIN Code:

16.1. Correspondence Address:

16.2. State:

16.3. District:

16.4. PIN Code:

17. Email:

18. Mobile Number:

Next

1

Candidate Information

Personal Details

2

Additional Information

Additional Information-I

Additional Information-II

3

Upload Documents

4

Preview Form

5

Submit Form

←

Candidate Dashboard

>

Additional Information-I

Additional Information-I

19. Select your Service/ Cadre:

Central Secretariat Clerical Service, DoPT

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 1.

20. Applying for the Year:

2025

21. Date of Joining Feeder Service/Cadre (DD/MM/YYYY): *

dd-mm-yyyy

21.1. Length of service:

Candidates must ensure that they are eligible in terms of Para No. 30 of Annexure-I of the Notice of Examination.

Go Back

Save & Next

1

Candidate Information

Personal Details

2

Additional Information

Additional Information-I

Additional Information-II

3

Upload Documents

4

Preview Form

5

Submit Form

←

Candidate Dashboard

>

Additional Information-II

Additional Information-II

22. Examination Center:

Delhi - NCR

23.1. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of blindness (VH)?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 35(a) of Annexure-I

☐ Yes
☐ No

23.2. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of Cerebral Palsy (CP)?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 35(a) of Annexure-I

☐ Yes
☐ No

23.3. Do you have a Physical limitation to write as per para 35(b) or 35(c) of Annexure-I of the notice (Certificate to this effect from competent authority as per format at Annexure-II/ Annexure-III to the notice of Examination would be required at the time of Examination)?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 35(b) or 35(c) of Annexure-I

☐ Yes
☐ No

23.4. Whether support is required in the form of a scribe/ technology/ assistive devices for writing the exam?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 35 of Annexure-I

☐ Yes
☐ No

24. Medium of examination: *

Select

Verify medium of examination: *

Select

25. Name and full Postal Address of the Ministry/ Department/ Office in which you are working at the time of applying:*

25.1. Name and designation of Head of Department:*

25.1.1. Email (gov/nc) of HoD:*

25.1.2. Telephone Number of HoD:*

25.2. Name and designation of Head of Office:*

25.2.1. Email (gov/nc) of HoO :*

25.2.2. Telephone Number of HoO:*

26.1. Are you permanent, regular or regularly appointed temporary Junior Secretariat Assistant/ Lower Division Clerk of your Service/ Cadre?*

☐ Yes ☐ No

26.2. Date of confirmation in the Junior Secretariat Assistant/ Lower Division Clerk Grade, if permanent (MM/DD/YYYY):

26.3. Date of appointment as Junior Secretariat Assistant/ Lower Division Clerk Grade, if your appointment is temporary (MM/DD/YYYY):

26.4. Rank and the year of the examination if appointed on the basis of Clerk Grade Examination (By Direct Recruitment/ By Promotion/ By LDCE etc.) (e.g. 23/2016):

27. From which date have you been continuously employed as a regular Junior Secretariat Assistant/ Lower Division Clerk in your Service/ Cadre (DD/MM/YYYY)?

28.1. Are you holding an Ex-Cadre Post?*

☐ Yes ☐ No

28.2. Whether the deputation to the Ex-Cadre Post has the approval of the competent authority?

☐ Yes ☐ No

28.3. Are you holding Ex-Cadre Post on Deputation Basis or on Transfer Basis: *

28.4. Do you continue to hold lien on Post of Junior Secretariat Assistant/ Lower Division Clerk in your Cadre/ Service?*

☐ Yes ☐ No

29. Complete details of service (in chronological order) by you under Government in different offices and Grades. *

Name Of the Dept/ Office *	Post held & Scale of pay *	State whether post held Permanently/ Probation/ Temporary *	From *	To *

Add More

30.1. Have you passed the Monthly/ Quarterly/ Annually Typewriting Test held by the Staff Selection Commission for confirmation in the post of Junior Secretariat Assistant/ Lower Division Clerk?*

☐ Yes ☐ No

30.2. Please indicate the date of Typewriting test: (MM/DD/YYYY):

30.3. Please indicate the Roll Number of Typewriting test:

30.4. Have you been exempted from passing the Typewriting Test? (Please quote the number and date of the order under which you were granted exemption from passing The Typewriting Test):

31. Give a list of the documents attached with the application (Please see paragraph 11) files should be (pdf/jpeg) *

31.1. Document as indicated in Para 11(i) of Annexure-I *

Please refer to the Notice of Examination, Para No.11(i) of Annexure-I

Please upload requisite certificate

31.2. Document as indicated in Para 11(ii) of Annexure-I *

Please refer to the Notice of Examination, Para No.11(ii) of Annexure-I

Please upload requisite certificate



1 Candidate Information

Personal Details

2 Additional Information

Additional Information-I

Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

[←](#) Candidate Dashboard > Upload Photograph & Signature

Upload Photograph & Signature

1. Capture Your Photograph

Instructions:

- Find a place with good light and plain background.
- Ensure the camera is at your eye level before capturing the photo.
- Position yourself directly in front of camera and **look straight**.
- Ensure that your **face is fully inside the red rectangular area** delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle.
- Candidates **shouldn't wear a cap, mask or glasses / spectacles** while capturing the photo.
- In no case should the candidate capture the photographs of his/her pre-existing photograph. All such applications where the photographs of his/her pre-existing photograph is captured will be rejected.
- **Do not wear earphones or any device while capturing photo.**

Capture Live Photo

2. Upload Your Signature *

Instructions:

- **Please read the advisory to Candidates with respect to photo and signature and common causes of rejection.**
[Click here to read](#)
- Allowed image size: 10 KB to 20 KB in JPEG / JPG format.
- Image dimensions: about 6.0 cm (width) X 2.0 cm (height) at a resolution of 300 DPI.
- Application with blurred / miniature signature will be rejected.
- Signature should be horizontally aligned.

Upload Signature

[Go Back](#)[Save & Next](#)

Instructions to Candidates for uploading of signatures

- 1) The major reasons for rejection of signatures are “miniature” signatures. Candidates are advised to cut the box and then sign within the box such that signature occupies at least 80% of the box.



Cut the box & Sign within the box

- 2) Samples of acceptable and rejected signatures are provided on the next page(Pg No 2). Candidates are advised to review these examples to understand which signatures will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

Signature

1. Good For Approval



2. Rejected



3) The major reasons for rejection photographs are :

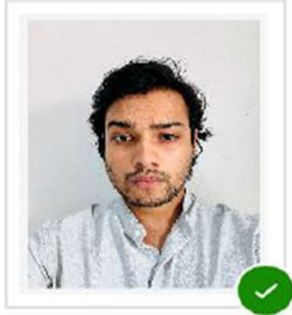
- (i) Photo without plain background.
- (ii) Candidates wearing caps
- (iii) Candidates taking photos without shirts.
- (iv) Photo not sufficiently bright.
- (v) Photo is blurred

Candidates are advised to follow the instructions while capturing the photo that is displayed on the Website especially ensure plain background and photo is captured in well-lit area.

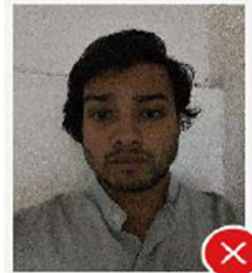
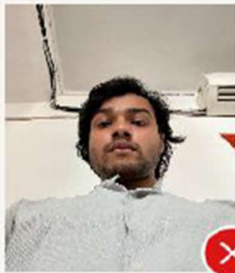
4) Samples of acceptable and rejected photographs are provided on the next page (**Page No 4**). Candidates are advised to review these examples to understand which photographs will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

Photograph

1. Good For Approval



2. Rejected



विभाग अथवा कार्यालय, जिसमें अभ्यर्थी सेवारत है, के प्रमुख द्वारा भरे जाने हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि:

- (1) श्री/श्रीमती/कुमारी_____ द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की उसके सेवा अभिलेखों से सत्यापन कर लिया गया है।
- (2) उनके सेवा अभिलेखों से यह जांच कर ली गई है कि वह जिस जाति /जनजाति से संबंधित है वह जाति / जनजाति, अनुसूचित जाति /जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- (3) ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसके तहत वह सीएससीएस के वरिष्ठ सचिवालय सहायक / प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त हैं।
- (4) वह सीएससीएस संवर्ग के नियमित रूप से नियुक्त दिनांक_____ से अस्थायी/स्थायीवत कनिष्ठ सचिवालय सहायक / अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड हैं और इस पर उनकी नियुक्ति निरंतर है।
- (5) वह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं।
- (6) वह “स्थानांतरण” पद पर नियुक्त है और परीक्षा विज्ञप्ति में उल्लिखित पद पर अपना धारणाधिकार (लियन) रखता/ रखती है।
- (7) उनके सेवा अभिलेखों से यह जांच कर ली गई है कि उन्होंने सीएससीएस संवर्ग के कनिष्ठ सचिवालय सहायक / अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में पुष्टि या निरंतरता के लिए उन्हें आयोग की टंकण परीक्षा पास करने की छूट दी गई है।
- (8) उनके सेवा अभिलेखों से यह जांच कर ली गई है कि उन्होंने सीएससीएस संवर्ग के कनिष्ठ सचिवालय सहायक / अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में पुष्टि या निरंतरता के उद्देश्य से परीक्षा की अधिसूचना से पूर्व आयोग की टंकण परीक्षा को पास कर लिया है।
- (9) अभ्यर्थी की सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति एतद्वारा संलग्न है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ सचिवालय सहायक/ प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 (सीएससीएस, डीओपीटी) की विज्ञप्ति में उल्लिखित सेवा की अवधि और निर्णायक तिथि को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 के लिए सभी अर्हता /पात्रता शर्तों को पूरा करता है।
- (10) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग को भेजने के लिए अपने आवेदन पत्र को दिनांक_____ को विभाग/ कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है और यह कि विभाग/ संगठन में उपयुक्त श्रेणी में रिक्ति उपलब्ध है।
- (11) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उन्हें किसी भी परीक्षा/चयन के लिए किसी भी लोक सेवा आयोग/ सचिवालय एवं प्रबंधन संस्थान/ अधीनस्थ सेवा आयोग /कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अयोग्य अथवा वारित नहीं किया गया है।

(12) प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी अनुमोदित सेवा की गणना हेतु निर्णायक तिथि पर सेवा की अवधि के संबंध में पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

विभाग/कार्यालय _____

पूरा डाक पता _____

दिनांक _____

जो अंश लागू न हों उन्हें काट दें।

नोट-1: अग्रेषण प्राधिकारी अनलाइन आवेदन पत्र के मुद्रित संस्करण में अभ्यर्थी की फ़ोटो पर हस्ताक्षर करे तथा फोटोग्राफ को विकृत किए बिना फोटोग्राफ पर अपनी आधी मुहर एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र के मुद्रित संस्करण पर आधी मुहर लगाए। इसके बिना (आवेदन पत्र के फोटो पर अग्रेषित प्राधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षर) आवेदन-पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

नोट-2: अभ्यर्थी का पूर्ण आवेदन जिसे अंतिम तिथि के बाद संगठन/विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित किया जाएगा, उसमें संगठन/ विभाग का प्रमाण पत्र कि “अभ्यर्थी द्वारा आवेदन समापन तिथि या उससे पहले विभाग को प्रस्तुत किया गया था” संलग्न करना होगा। तथापि, इस संबंध में उल्लिखित अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट-3: वरिष्ठ सचिवालय सहायक/ प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 (सीएससीएस, डीओपीटी) की विज्ञप्ति में निर्धारित अभ्यर्थियों की पात्रता सुनिश्चित करना संबंधित विभाग या कार्यालय की जिम्मेदारी होगी।

फॉर्म -V

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का
पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित
फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. -----

दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/
महिला----- पंजीकरण संख्या ----- जो मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर ----
---जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की
सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक विकलांगता
- पेशी संबंधी कुपोषण
- अभिसाधित कुष्ठ
- बौनापन
- प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात
- तेजाब हमले के पीड़ित
- अल्प दृष्टि
- नेत्रहीनता
- श्रवण दिव्यांगता
- वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता
- बौद्धिक दिव्यांगता
- विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता
- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
- मानसिक बीमारी
- चिरकालिक तांत्रिक संबंधी विकार
- मल्टीपल स्लेरोसिस
- पार्किन्सन बीमारी
- हेमोफिलिया
- थेलेसेमिया
- सिकल सेल डिजीज

(ख) शरीर के प्रभावित भाग का नाम :

(ग) उनके मामले मेंनिदान किया गया है।

(घ) उन्हें _____% (आंकड़ों में) _____ प्रतिशत (शब्दों में) दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप (स्थायी/अस्थायी और दिनांक _____ तक वैध है), जैसा कि भारत सरकार द्वारा दिनांक _____ को जारी _____ के तहत अधिसूचित दिशनिर्देशों के अनुसार है।

दिव्यांगत व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता:

भारत सरकार का लोगो	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार का लोगो	संबंधित संघराज्य क्षेत्र अथवा राज्य का लोगो
--------------------	---	--

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

फॉर्म -VI

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(बहु दिव्यांगता संबंधी मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का
पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित
फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/
महिला----- पंजीकरण संख्या -----जो मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर -----
--जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की
सावधानीपूर्वक जांच की है और हम संतुष्ट हैं कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता का है। उनकी शारीरिक निःशक्तता/ दिव्यांगता का दिशानिर्देशों
(दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए
मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	दिव्यांगता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	दिव्यांगता प्रतिशत
1.	गति विषयक दिव्यांगता			
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि			
8.	नेत्रहीनता			
9.	श्रवण दिव्यांगता			
10.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			

11.	बौद्धिक दिव्यांगता			
12.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
13.	ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार			
14.	मानसिक बीमारी			
15.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
16.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
17.	पार्किन्सन बीमारी			
18.	हेमोफिलिया			
19.	थेलेसेमिया			
20.	सिकल सेल डिजीज़			

(नोट: केवल निदान की गई दिव्यांगताओं को ही सूचीबद्ध किया जाएगा।)

(ख) उन्हें _____% (आंकड़ों में) _____ (शब्दों में) समग्र दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप (स्थायी/अस्थायी और _____ तक वैध) है।

दिव्यांग व्यक्ति के अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर:

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता: